

प्रति,

श्री एल. एल. गोतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्टर,
तेन्दुल पोस्ट आफ तेन्दुलरी एजुकेशन,
2/19 नं. विहार अगरी रोड,
दरभंगा, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-17

दिनांक, मंगल 22 सितम्बर, 1988

विषय:- तेन्दुलरी स्कूल, बाँदा को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।

प्रतीक,

मुझे यह कबने का निदेश हुआ है कि तेन्दुलरी स्कूल, बाँदा को तेन्दुल पोस्ट
आफ तेन्दुलरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार
को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों/अधीन आपत्ति नहीं है:-

10। सामान्य प्रतिबन्ध

11। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक
सदस्य होगा।

12। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिष्ठान स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्धन
आय वर्ग के बच्चों के लिए तरफ़िती रहेगी तथा उनके 3000 माध्यमिक शिक्षा
परिषद/महिला शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों
के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

13। संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

14। संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रमाणित होंगी। संस्था के
शिक्षण तथा विद्यार्थी-तत्पर कार्यारियों को राष्ट्रीय सेवा योजना
शिक्षण संस्थाओं के कार्यारियों को अनुमति देना अन्य भातों
से कम वेतनमान एवं अन्य भातों नहीं दिए जाएँगे।

15। राज्य सरकार अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत
हिए जाएँगे उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

16। विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जाएगा।

17। विशेष प्रतिबन्ध

11। विद्यालय को प्रबन्ध समिति उपस्टुडेंट होगी तथा समय-समय पर
नियमानुसार उत्तरा नवीनीकरण भी कराया जाएगा।

12। विद्यालय में प्रत्येक छात्र व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्ष,
दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार पुस्तकालय कक्ष की

20/11/88

अधस्तात की जायेगी।

13। कम्यारियों की सेवा-शर्तें सुनायी जायेंगी और उन्हें सहायता-प्राप्त अन्तर्जातीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कम्यारियों को अनुमत्य सेवा-नियुक्ति का भाग उपलब्ध कराये जायेंगे।

14। विद्यालय का सेवा-जीवन निर्धारित प्रणाली/पैमानों में रखा जायेगा।

- 2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उत्सर्जन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भाषदीप,

। एल. एल. गीतम ।
संयुक्त सचिव शिक्षा।

संख्या-3563 111/15-17-88 -तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाई प्रेषित:-

- 11। शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
- 12। मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, शांती मण्डल, शांती।
- 13। शिक्षा विभाग निरीक्षक, धाँदा ।
- 14। निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उधुग, लखनऊ ।
- ✓ 15। प्रधानाध्यापक, तेन्द मेरीच स्कूल, धाँदा ।

आशा है,

। एल. एल. गीतम ।
संयुक्त सचिव शिक्षा ।